न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 22 / 2022

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

सुखाराम पुत्र घेवरराम
जाति कुम्हार निवासी पटेल नगर

1. ढगला देवी पत्नी जस्साराम जाति कुम्हार निवासी पटेल नगर तहसील बिलाडा
2. धारूराम पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार निवासी पटेल नगर तहसील बिलाडा
3. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा हरियाढाणा जिला जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक :– 07/08/24**

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पटेल नगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है जो प्रार्थी के नाम की खातेदारी की भूमि हैं जिस पर प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टयर भूमि में आने जाने का सार्वजनिक रास्ता खसरा नम्बर 1676 जो पटेल नगर से कुरडाया जाने वाले रास्ते के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.5663 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम व अप्रार्थी सं. 2 दो की भूमि खसरा नम्बर 1683/1 रकबा 0.5178 हेक्टयर किस्म बारानी प्रथम स्थित है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अप्रार्थी सं. 1 ढगलादेवी की भूमि खसरा नम्बर 1684 के पूर्व दिशा की तरफ व अप्रार्थी सं. 2 धारूराम की भूमि खसरा नम्बर 1683/1 के पूर्व तरफ माठ के चिपता आने जाने हेतु रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. काम में लेते आ रहा है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 में खेत बुवाई के समय खेत में बुवाई करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.5663 हैक्टयर के पूर्व दिशा व अप्रार्थी सं. 2 की धारूराम की भूमि खसरा नम्बर 1683/1 के पूर्व दिशा मे माठ के चिपता रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. से होकर कई पीढियों से आता जाता था जो प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता के रूप में वर्णित रहेगा। तथा इसी रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. के रास्ते से प्रार्थी अपना वाहन टेक्ट्रर, मोटर साइकिल छकडा आदि साधन लेकर जाता था प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टयर में काश्त कार्य करने हेतु यही एक मात्र वैकल्पिक रास्ता है। जिसकी नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं दिनांक 12.06.2023 को अप्रार्थी सं. 1 से 2 ने प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने वाले रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. को अग्रेजी बबूल की कंटीली झाडिया डार कर बंद कर दिया और प्रार्थी को धमकीया देते हुए कहा कि हमारी खातेदारी की भूमि मे से होकर आपको काश्त कार्य करने हेतु नही जाने देगे न ही खातेदारी की भूमि में से निकलने देगे। इस प्रकार प्रार्थी के खेत में काश्त कार्य में अडचने जिस पर गांव वालों ने अप्रार्थी सं. 1 से 2 को समझाया कि रास्ता पर किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करें। बावजूद अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 ने व्यवधान को नही हटाया है। ग्राम पटेल नगर में ग्राम पटेल नगर से कुरडाया जाने वाला सार्वजनिक गै.मु.रास्ता जो खसरा नम्बर 1676 गै.मु.रास्ता है जो राजस्व नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1676 वर्णित है जो अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 1684 में से पूर्व दिशा में तथा अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 1683/1 के पूर्व दिशा में प्रार्थी की भूमि तक माठ के चिपता 15 फूट चौडा रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टयर तक आता है लेकिन उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता इन्द्राज नही किया गया है। न ही नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से रास्ता तरमीम किया हुआ है। आन लाईन नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जिसमें रास्ता खसरा नम्बर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नम्बर 1684 व अप्रार्थी सं. 2 की भूमि खसरा नम्बर 1683/1 के पूर्व दिशा में मार्क ए.बी.सी.डी. दर्शाया गया है। जो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1686/1 में आने जाने हेतु स्थाई रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
[illegible]

के खेत में आने जाने का अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। एक मात्र यही एक मात्र रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता है। भूमि खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 के पूर्व दिशा की तरफ माठ से चिपता मार्क ए.बी.सी.डी 15 फुट चौडा स्थित है से होकर प्रार्थी पीढीयों से आता जाता है व प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टयर तक पहुचने का एक मात्र रास्ता है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी सं. 1 से 2 को कोई अधिकार नहीं है फिर भी अप्रार्थी सं. 1 से 2 ने बिना कारण के प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने वाले रास्ता मार्क ए.बी.सी.डी. के रास्ते को अंग्रेजी बबूल की कंटीली झाडिया डाल कर बंद कर दिया है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 से 2 को खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 के पूर्व दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी पर कायम किये गये 15 फुट चौडा रास्ते को बन्द कर नाजायज तौर से बाधा उत्पन्न करने से नहीं रोका गया तो अप्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 में काश्त कार्य करने से हमेशा हमेशा के लिय वंचित हो जायेगा। जिससे प्रार्थी की जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा व प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयों में किया जाना संभव नहीं होगा। प्रार्थी को अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1684 व 1683 के पूर्व दिशा में माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. का 15 फुट चौडा रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता का मार्ग है। प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के विरूद्ध खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 के पूर्व दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. स्थित रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बिलाडा राज्य सरकार जरिये भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 4 शाखा प्रबन्धक यूको बैंक हरियाढाणा है अप्रार्थी सं. 1 ढगलादेवी के द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 1684 की भूमि को रहन रख कर ऋण लिया हुआ है। इस कारण शाखा प्रबंधन यूको बैंक शाखा हरियाढाणा को फारमर पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गई है।वादग्रस्त भूमि ग्राम पटेल नगर तहसील बिलाडा में स्थित है जो श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार व स्वर्णाधिकार में होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है।

अन्त में प्रार्थना पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 का मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 से 2 के

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

विरूद्ध खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 में पर्वू दिशा की तरफ माठ के चिपता मार्क ए.बी.सी.डी. के 15 फुट चौडा रास्ते को नियमानुसार राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम हेतु आदेश अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बिलाडा को फरमावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उपस्थित होने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा बार-बार आवाज दिलवाई गयी लेकिन अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 07.02.2024 को अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 4 परफॉर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी सं. 3 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम पटेलनगर में स्थित खेत खसरा नम्बर 1686/1 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की में प्रभावित भूमि का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है प्रार्थी द्वारा वांछित भूमि अंसिचित है एवं जो डामर सडक से एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते में प्रभावित भूमि एवं उसकी डी.एल.सी दर का विस्तृत विवरण भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगावं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते की भूमि का रकबा खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 में से 12 बीघा 5 बिस्वा बनता है। वांछित रास्ते की भूमि की चौडाई व लम्बाई 10412 वर्ग फिट मौका फर्द के अनुसार है। वांछित रास्ते की भूमि की डी.एलसी.दर की दुगुगी राशि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	खातेदार का हिस्सा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी. दर की दो गुना राशि
1.	ढगलादेवी पत्नी जरसाराम जाति कुम्हार सा.देह	1684	6.00 विस्वा	पूर्ण	191160 प्रति हैक्ट	18560
2.	धारूराम पुत्र भीकाराम जाति कुम्हार सा.देह	1683/1	6.5 विस्वा	पूर्ण	191160 प्रति हैक्ट	20120
	योग		12.5 विस्वा			38680

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 1684 व 1683/1 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 02.05.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थीगण अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1686/1 रकबा 0.8009 हैक्टेयर में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 1684 रकबा 0.5663 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1683/1 रकबा 0.5178 हेक्टयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 1686/1 में पहुचता है मौका कमीश्नर की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की ताईद होती है। प्रार्थी को अपनी भूमि खसरा नम्बर 1686/1 में काश्त कार्य करने का पूरा हक व अधिकार है, अगर काश्त कार्य नही किया जायेगा तो उसका जीवन निर्वाह चलेगा नही। इस कारण प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.05.2024 एव

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थीगण तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02.05.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा